

कार्यालय नगर परिषद् बालोतरा जिला - बाइमेर (राज.)

क्रमांक: एफ-20/अग्निशमन /202_17 फा 2023

दिनांक: 21.03.23

अग्निशमन अस्थाई अनापति प्रमाण- पत्र

प्रेषित:- श्री सुभाषचन्द पुत्र सुल्तानमल जैन,
तुलसी किड्स स्कूल, असाड़ा रोड, बालोतरा।

विषय :- अग्निशमन अनापति प्रमाण - पत्र के नवीनीकरण बाबत।


प्रसंग :- आपके पत्रांक 86680 दिनांक 21.03.2023 के सन्दर्भ में।

प्रामाणित किया जाता है कि श्री सुभाषचन्द पुत्र सुल्तानमल जैन, तुलसी किड्स स्कूल, असाड़ा रोड, बालोतरा में स्थापित किये गये फायर फायटिंग सिस्टम का निरक्षण किया गया। निरक्षण के दौरान उक्त विद्यालय में अग्निशमन सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र सही एवं चालु हालात में पाये गये अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए ये अग्निशमन अनापति प्रमाण - पत्र जारी किया जाता है।

01. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने तिथि से छः माह की अवधि के लिये मान्य होगा।
02. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
03. विद्यालय के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को एक वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
04. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का चालू हालात में रखना होगा।
05. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करना होगा।
06. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
07. विद्यालय का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालु हालात) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
08. यदि राज्य सरकारी / परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम / उपनियम जारी किया जाता तो प्रबंधक को मान्य होगा।
09. यह अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण - पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
10. आपात सेवाओं में दूरभाष नम्बर व धुमपान निषेध का सायरन बोर्ड लगाना होगा।
11. विद्यालय में EXIT SIGNAL बोर्ड लगाना होगा।
12. विद्यालय में आने जाने के लिये खुला रखना होगा।
13. विद्यालय में पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. विद्यालय के व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली की व्यवस्था रखनी होगी।
15. प्रस्तावित तुलसी किड्स स्कूल, असाड़ा रोड, बालोतरा को बिन्दु से 1 से 15 तक बिन्दु सं: 1 से 15 तक बिन्दुओं की पालना करनी होगी।


फायर प्रहरी
नगर परिषद् बालोतरा
नगर परिषद् बालोतरा




आयुक्त
नगर परिषद् बालोतरा